न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–10 / 2023 | दायर दिनांक– 09.01.2023
GCMS NO:- 2023/13 | पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

देवलाल उर्फ देव्या आ0 कालू जाति मीना नि. भवानीपुरा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भवानीपुरा प0म0 गुढादेवजी मे भूमि खसरा नम्बर 273 / 158 रकबा 0.8090 हैक्टयर स्थित है जिस पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त की जा रही है।

यह कि प्रार्थी अपनी भूमि पर डोल लगाकर मेड बन्दी कर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि जानवरों व अन्य नुकसान से बचा जा सके। यह कि प्रार्थी एक वृद्व व्यक्ति है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की मुस्तकिल पत्थरगढी नही हो रही है। कई बार सीमांकन करवाया है परन्तु पत्थरगढी नही होने से मौके पर विवाद हो जाता है। प्रार्थी ने कहीं बार श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी को पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन फिर भी पत्थरगढी नही हुई जिससे उक्त भूमि मे खेती काश्त करने भूमि की सुरक्षा करने मे भारी परेशानी हो रही है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस पेश कर धारा 111 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि खसरा नम्बर 273 / 158 की पत्थरगढी करवाना चाहता है, पर कब्जा ही नही है अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त भूमि पर कब्जा नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा